(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ; और

(ङ) क्या आत्महत्या के ये प्रयास हिन्दी फीचर फिल्मों में दिखाए जाने वाले प्रसंगों/दृश्यों से प्रभावित हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री पी. एम. सईद) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है । [देखिए परिशिष्ट 173 अनुपत्र सं० 184]

(ग) से (ङ) भारत में दुर्घटना से हुई मौतें और आत्म-हत्या पर गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा तैयार की गयी 1993 की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि पुरुषों द्वारा आत्महत्या के प्रमुख कारण सामाजिक और आर्थिक स्थिति में गिरावट, घातक बीमारी, पागलपन, परीक्षा में असफलता और बेरोजगारी है ।

दिल्ली के थानों में पड़े वाहन

7996. चौधरी हरमोहन सिंह :

श्री आ:. मोहम्मद :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1995 की स्थिति के अनुसार दिल्ली के विभिन्न थानों में अपराध की किन्हीं घटनाओं के सिलसिले में पड़े वाहनों की संख्या कितनी है ;

(ख) प्रत्येक थाने में पड़े वाहनों का वाहनवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या यह सच है कि सरकार वाहनों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, जिसके कारण वाहनों के मूल्यवान हिस्से-पुर्जे निकाले जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) यह संख्या 1592 है ।

(ख) अपेक्षित सूचना अनुलग्नक में दी गई है । [देखिए परिशिष्ट 173 अनुपत्र सं० 185]

(ग) अपराधों में लिप्त वाहनों और पुलिस थानों में पड़े हुए वाहनों से महंगे कलपुर्जों के निकाले जाने संबंधी कोई शिकायत न तो प्राप्त हुई है न ही दर्ज कराई गई है । सभी थाना प्रभारियों को ऐसे सभी वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं ।

राजभाषा विभाग में सचिव की नियुक्ति

7997. श्री शंकर दयाल सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजभाषा विभाग द्वारा कितने सचिवों की कितनी-कितनी अवधि के लिए नियुक्ति की गई ;

(ख) राजभाषा विभाग में सचिव का पद पूर्णकालिक है अथवा अंशकालिक ;

(ग) क्या सरकार राजभाषा विभाग में सचिव का पद स्वतंत्र रूप से किसी सचिव को देने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) एक विवरण संलग्न है **(नीचे देखिए)** ।

(ख) से (घ) सचिव स्तर के पद घटाने के सरकार के 22 जनवरी, 1992 से लागू निर्णय के पालन स्वरूप इस तिथि से राजभाषा विभाग के लिए अलग से सचिव पद नहीं रखा गया है । तबसे आमतौर पर सचिव (कार्यक्रम क्रियान्वयन) को ही राजभाषा विभाग का प्रभार भी दिया जाता रहा है । केवल श्री वीरेन्द्र प्रकाश, जो दिनांक 18-1-1995 से 31-3-995 तक पूर्ण कालिक सचिव (राजभाषा) पद पर रहे, के मामले में ही इस परिपाटी का पालन नहीं किया गया । अधिवत्ता पर उनकी (श्री वीरेन्द्र प्रकाश) सेवानिवृत्ति की तिथि के बाद से सचिव (कार्यक्रम क्रियान्वयन) फिर से राजभाषा विभाग का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे है । पूर्ण कालिक सचिव (राजभाषा) नियुक्ति करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।